न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 43/2021

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट –
1. ईशराराम पुत्र लाखाराम 2. हनुमानराम पुत्र गोरधनराम 3. समदादेवी पत्नी गोरधनराम 4. दुर्गाराम पुत्र चोलाराम 5. जेतीदेवी पत्नी अचलाराम 6. हनुमानराम पुत्र अचलाराम 7. जगदीश कुमार पुत्र अचलाराम 8. बालाराम पुत्र अचलाराम 9. रेखाराम पुत्र अचलाराम 10. खरथाराम पुत्र अचलाराम जातियान जाट निवासी बांकासर (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक : राजस्व/2016/3267 दिनांक 14.10.2016 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 14.09.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा ग्राम बांकासरा के खसरा नंबर 835 रकबा 66–02 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 14.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम बाकासरा तहसील के खेत खसरा नम्बर 835 रकबा 66–02 बीघा भूमि के खातेदारान ईशरा पुत्र

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लाखाराम, हनुमान पुत्र गोरधन, समदा बेवा गोरधन, दुर्गा, अचला पि0 चौला जाति जाट निवासी बांकासरा सरली तहसील बाड़मेर ने दिनांक 13.10.2016 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1–07 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी सांजटा द्वारा की गई तथा हलका पटवारी सरली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि खातेदारान द्वारा प्रस्तुत समर्पण की भूमि मौके पर खाली है। आने जाने का व्यवहारिक रास्ता है। फिलहाल कोई न्यायालय में वाद/स्थगन नहीं है। वास्ते भूमि समर्पण रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2016 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता व रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 835 रकबा 66–02 बीघा ग्राम बांकासर तहसील बाड़मेर में आया हुआ है। पक्षकारान द्वारा उक्त अपीलाधीन खसरा नम्बर के 66–02 बीघा भूमि में से 1–07 बीघा भूमि आपस में मंत्रणा कर सड़क मार्ग से सम्पर्क के लिये चल रहे कदीमी रास्ता को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई है। अपीलांट्स कम प[illegible] होने से हलका पटवारी द्वारा जिस तरह कदीमी रास्ता [illegible] के उसके अनुसार लट्ठाट्रेस में दर्शित नहीं [illegible] गलत रूप से अंकन कर दिया है और उक्त गलत लट्ठाट्रेस के आधार पर [illegible] रमीम कर दी गई है। पक्षकारान ने अपनी खातेदारी भूमि का प्रशासन गांवों के संग अभियान में विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

करवाने हेतु हलका पटवारी से सम्पर्क कर लट्ठाट्रेस का अवलोकन किया तब गलत अंकन का ज्ञान हुआ। लिहाजा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमि की बिना मौका जांच किये ही अपीलाधीन समर्पण स्वीकृति का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि पक्षकारान द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में हलका पटवारी एवं अधिवक्ता से परामर्श करने के बाद अपीलाधीन आदेश के पत्रावली की नकल लेने पर दिनांक 25.10.2021 को ही गलत समपर्ण आदेश पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। इस पर अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर यह अपील सर्वप्रथम ज्ञान होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा बांकासरा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 835 रकबा 66–02 बीघा भूमि के खातेदारान ईशरा पुत्र लाखाराम, हनुमान पुत्र गोरधन, समदा बेवा गोरधन, दुर्गा, अचला पि0 चौला जाति जाट निवासी बाकासरा सरली तहसील बाड़मेर ने दिनांक 13.10.2016 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1–07 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी सांजटा द्वारा की गई तथा हलका पटवारी सरली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि खातेदारान द्वारा प्रस्तुत समर्पण की भूमि मौके पर खाली है। आने जाने का व्यवहारिक रास्ता है। फिलहाल कोई न्यायालय में वाद/स्थगन नहीं है। वास्ते भूमि समर्पण रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2016 पारित किया गया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील 5 वर्ष के अन्तराल बाद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

है कि मौजा बांकासरा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 835 रकबा 66–02 बीघा भूमि के खातेदारान ईशरा पुत्र लाखाराम, हनुमान पुत्र गोरधन, समदा बेवा गोरधन, दुर्गा, अचला पि0 चौला जाति जाट निवासी बाकासरा सरली तहसील बाड़मेर ने दिनांक 13.10.2016 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार 1–07 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी सांजटा द्वारा की गई तथा हलका पटवारी सरली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि खातेदारान द्वारा प्रस्तुत समर्पण की भूमि मौके पर खाली है। आने जाने का व्यवहारिक रास्ता है। फिलहाल कोई न्यायालय में वाद/स्थगन नहीं है। वास्ते भूमि समर्पण रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2016 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि खातेदारान ने आपस में मंत्रणा कर सड़क मार्ग से सम्पर्क के लिये चल रहे कदीमी रास्ता को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गई है। अपीलांट्स कम पढ़े–लिखे होने से हलका पटवारी द्वारा जिस तरह कदीमी रास्ता उपयोग में आ रहा था उसके उसके अनुसार लट्ठाट्रेस में दर्शित नहीं कर इसके विपरीत गलत रूप से अंकन कर दिया है और उक्त गलत लट्ठाट्रेस के आधार पर तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार अपीलांट्स अपीलाधीन आदेश के द्वारा भूमि समर्पण से सहमत हैं तथा उन्हें किसी प्रकार की उजरदारी नहीं है किन्तु हलका पटवारी द्वारा उक्त आदेश के अनुसरण में की गई तरमीम गलत होना मानते हुए आदेश को इस अपील के द्वारा चुनौती दी गई है। उक्त अपील के विचारण के दौरान मौका रिपोर्ट भी तलब की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मौके पर डामर सड़क समर्पित खसरे मे न बनाकर अन्यत्र बनी हुई है। इस प्रकार यह प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ही अपीलाधीन आदेश के रेकर्ड में अमल दरामद में हुई त्रुटि को प्रकट करता है, अन्यथा समर्पण आदेश की वैधानिकता [illegible]कार की कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं पाई जा[illegible] न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी स[illegible]–07 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए क[illegible] छोड़ना प्रकट किया है जिसमें अपीलांट्स स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में सहमति से भूमि समर्पण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 5 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। साथ ही यदि मौके एवं रेकर्ड में तरमीम में भिन्नता है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र हैं। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:46 IST
Reason: SelfAttested